रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1972/पौष 9, 1894
No. 307] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1972/PAUSA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 1972

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 (64 of 1971), the Central Government hereby makes the following modifications in the Table appended to the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), No. GSR 491(E), dated the 19th December, 1972, namely:—

In column 4 of the said Table, for the entries against serial numbers 1 and 2, the following entries shall be, and shall be deemed always to have been respectively substituted, namely:—

"Ownership under dispute".

[No. 19(78)/72-CI.]

S. K. GUHA, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

सा०का०नि० 498 (अ).—कोकिंगारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का 64) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 491 (ङ) तारीख 19 दिसम्बर, 1972 से उपाबद्ध सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित उपांतरण करती है, अर्थात् :—

उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में, क्रम सं० 1 और 2 के समक्ष दी गई प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जायेंगी, और सदैव प्रतिस्थापित की गई समझी जायेंगी, अर्थात् :—

"विवादास्पद स्वामित्व"

[सं० 19(78)/72-को० 1]

एस० के० गुहा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972